न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य , आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 29/19 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :– 2019/00122

उनवान

1. हुक्म सिंह } पिस0 मथुराप्रसाद
2. मोहन सिंह }
3. मथुरा प्रसाद पुत्र सुक्खी
4. प्रेम पत्नी मोहन सिंह
5. चित्रा पत्नी चन्द्रप्रकाश

} जाति नाई निवासी फतेहपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. चेतराम पुत्र चन्दन
2. विक्रम सिंह पुत्र तुहीराम

} जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

3. चन्द्रप्रकाश पुत्र मथुराप्रसाद जाति नाई निवासी फतेहपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन दिनांक 28.05.2019 मि.नं. 58/18 उनवानी चेतराम बनाम हुक्म सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री विजय सिंह कुंतल वकील रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक–06.12.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय दिनांक 28.05.2019 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी 589 रकवा 01 बीघा 02 विस्वा वाके ग्राम फतेहपुर तहसील रूपवास में स्थित है जिसके प्रार्थी असल रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजी खसरा नम्बर 589 रास्ता आम के खसरा नम्बर 588 से सटी हुयी आराजी है एवं प्रार्थी असल रैस्पो0 अपनी आराजी पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 588 जो आम रास्ता का है, का ही उपयोग करते हैं। दिनांक 28.08.2018 को अप्रार्थी

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट ने आम रास्ता की आराजी खसरा नम्बर 588 व प्रार्थी असल रैस्पो0 की आराजी खसरा नम्बर 589 पर खण्डा पत्थर डालकर रास्ते को अवरोध कर दिया एवं नींव का निर्माण करने लग गये। प्रार्थी रैस्पो0 ने उनसे मना किया तो वह झगडे पर उतारू हो गये। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थी अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 589 के किसी भी भू भाग पर निर्माण कार्य नहीं करने व आने जाने के मार्ग को अवरूद्ध नहीं किये जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश कानून व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.09.2018 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी। विवादित आराजी से लगा हुआ खसरा नम्बर 588 आम रास्ते का नम्बर है। पत्रावली में उपलब्ध नक्शे में लाल स्याही से अंकित भाग से रैस्पो0 रास्ता निकालना चाहते हैं। इसी प्रकरण में धारा 133 सीआरपीसी पेश हुयी जो खारिज हो चुकी है। पूर्व में एक दावा और चला जो राजीनामा से रैस्पो0 ने खत्म करा लिया। जब पूर्व में दावा किया जा चुका है एवं राजीनामा से वापस लिया जा चुका है तो दोबारा दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में पारित हुआ है। अतः मियाद जानकारी की दिनांक से ही मानी जावेगी। वैसे भी मैरिट पर केस अच्छा हो तो मियाद के बिन्दू पर उदार दृष्टि अपनाये जाने का कानून है। अतः मियाद को बिन्दू को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश खसरा नम्बर 589 पर पारित किया है एवं खसरा नम्बर 589 के रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। रैस्पो0 की खातेदारी पर अपीलाण्ट को कोई आपत्ति नहीं है। यदि पूर्व में दावा राजीनामा से वापस हुआ है तो अपीलाण्ट को उससे क्या फायदा होगा। अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्षो की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित हुआ है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1988 पेज 641, आरआरटी 2021(2) पेज 1318 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

28.05.2019 के विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 03.10.2019 को लगभग चार माह की देरी से प्रस्तुत की है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन अपीलाण्ट की गैर मौजदूगी में पारित हुआ है। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.05.2019 में दोनों पक्षो के वकीलो की उपस्थिति अंकित है। अतः अपीलाण्ट का यह कथन सारपूर्ण नहीं है कि अपीलाधीन आदेश उनकी गैर मौजूदगी में पारित हुआ है। अपीलांट स्वयं का दायित्व था कि न्यायालय की कार्यवाही से अपने आप को सूचित रखें एवं यथा आवश्यक अपने अभिभाषक के सम्पर्क में रहें। इस प्रकार अपीलाण्ट ने विलम्ब को शमन हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किये हैं। जब विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण विधिक अनिवार्यता हो तब अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अपील अपीलाण्ट निश्चित तौर पर मियाद बाहर है। चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः उसकी विवेचना भी प्रासंगिक है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 589 में हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् अपीलाण्ट को पाबन्द किया है। अपीलाण्ट खसरा नम्बर 589 के ना तो खातेदार हैं एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। बल्कि खसरा नम्बर 589 के रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार हैं एवं उनका ही कब्जा काश्त है। उक्त आदेश से अपीलाण्ट किस प्रकार परिवेदित है, स्पष्ट नहीं किया है। अपीलाण्ट विवादित आराजी से लगा हुआ खसरा नम्बर 588 जो आम रास्ते का नम्बर है, पर पत्रावली में उपलब्ध नक्शे में लाल स्याही से अंकित भाग से रैस्पो0 द्वारा रास्ता निकालना कथन करते हैं। परन्तु अपने उक्त कथन को साबित करने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत किया है। एक रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में निषेधाज्ञा देने से इंकार नहीं किया जा सकता। अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 28.05.2019 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर